भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2945

(जिसका उत्तर मंगलवार, 08 जनवरी, 2019/18 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)

सूक्ष्म स्तर के उद्योगों पर वस्तु और सेवा कर (जी॰एस॰टी॰) के प्रतिकूल प्रभाव

2945. श्री संजय सिंहः
श्री तिरुची शिवाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत आइस क्रीम निर्माताओं जैसे सूक्ष्म स्तर के उद्योगों को 18 प्रतिशत के कर दायरे में लाने से लगभग 20 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से और लगभग एक करोड़ लोग परोक्ष रूप से प्रभावित हुए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पहले ऐसे उद्योग संघटक योजना के अंतर्गत आते थे, जिससे उन्हें पूर्ण बिक्री पर सरकार को 1 प्रतिशत मूल्य वर्द्धित कर (वैट) लगाकर देना होता था;

(घ) यदि हां, तो सीधे-सीधे इस तरह का कदम उठाए जाने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार आइसक्रीम निर्माताओं जैसे सूक्ष्म उद्योगों को जी॰एस॰टी॰ के अधीन कुछ अन्य कर दरों के अन्दर लाने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क), (ख), (ग), (घ) तथा (ड़): जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार, आइसक्रीम निर्माताओं को कंपोजिशन स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है ।

*****